

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

आप अवगत है कि मुख्यालय के आदेश संख्या-1378 दिनांक 15-07-2021 एवं आदेश संख्या-1381 दिनांक 15-07-2021 द्वारा 52 लिपिक वर्गीय कार्मिकों के स्थानान्तरण आदेश जारी करते हुए एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के सम्बन्ध में पर्याप्त समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कतिपय स्थानान्तरित कार्मिकों को अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है। अतः मुख्यालय स्तर से स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों को कृपया प्रत्येक दशा में दिनांक 04-08-2021 तक कार्यभार से अवमुक्त किये जाने हेतु सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(सूर्यमणि लालचंद)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक // उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- ज्वान्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय, को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
- 2- सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
- 3- समस्त आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त न होने वाले कार्मिकों का माह अगस्त 2021 का वेतन आहरित न किया जाये।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।